



2026:AHC:37042

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2464/2026

राजेश प्रसाद

....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: हृदयध्वज प्रताप शाही, समरथ सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: एएसजीआई.

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. सुना, श्री वी.के.सिंह,विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री भाविनी चौरसिया की सहायता से श्री एच.पी. का कार्यभार संभाल रहे हैं, साही, रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, साथ ही श्री अरविंद सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता और श्री अनुराग शर्मा, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता. 4.

2. श्री वी.के. सिंह को पता चला कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार न्यायालय में एक बयान दिया है कि हालांकि वर्तमान रिट याचिका अध्यक्ष द्वारा पारित 28.11.2025 के आदेश पर सवाल उठाती है, इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, प्रयागराज, तथापि, रिट याचिकाकर्ता ने धारा 57 के अनुसार पेपर बुक के पृष्ठ 187 पर दिनांक 28.11.2025 को दिनांक 08.11.2025 के आदेश रिट याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किए गए समीक्षा आवेदन पर निर्णय के लिए अपनी राहत को सीमित कर दिया है उपनियमों का,

3. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिसमें दूसरे प्रतिवादी, अध्यक्ष, इलाहाबाद सोसायटी से अनुरोध किया गया है कि, प्रयागराज को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर लंबित समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेना है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”